

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्योपरान्त, आश्रित द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु स्वघोषणा प्रमाण-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी...(निर्माण श्रमिक).....
निवासी-ग्राम व पो0/मो0..... ब्लॉक/नगर निकाय
.....तहसील..... जिला..... यह घोषणा करता
/करती हूँ किउत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार
कल्याण बोर्ड में श्रमिक के रूप में पंजीकृत थे।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी
.....उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित
कल्याणकारी योजना (मृत्योपरान्त) हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की समस्त
अर्हताओ को पूर्ण करता/करती हूँ।

मैं उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में
पंजीयन/नवीनीकरण एवं योजनाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार के हितलाभ के लिए
अपने आधार नम्बर का प्रयोग बोर्ड के नियमों/शर्तों के अनुसार किए जाने हेतु सहमति
प्रदान करता/ करती हूँ तथा प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर के अतिरिक्त किसी अन्य
विकल्प का चयन नहीं करता/करती हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के
अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त नहीं की
गई है। मेरे द्वारा आवेदन में दी गयी समस्त सूचनायें एवं विवरण मेरी जानकारी के
अनुसार पूर्णयता सत्य हैं , तथा कोई भी तथ्य गलत नहीं है न ही छिपाया गया है। मैं
इस तथ्य से भी भली-भाँति अवगत हूँ कि बोर्ड की सदस्यता अवधि के दौरान या उसके
उपरान्त भी यदि किसी जॉच के दौरान यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा तथ्यों के
दुर्व्ययदेशन द्वारा अथवा तथ्यों को छुपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर
पंजीकरण/नवीनीकरण/योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर लिया जाता है तो मेरे
विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

आश्रित के हस्ताक्षर -

नाम :

पिता/पति का नाम :

पता:

मोबाइल नं0: